आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 38/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

21/01/24

भूदाता राम केवल सिंह, पिता–राम ईश्वर सिंह, ग्राम–संतावन विगहा, थाना+जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
01	–	01 कठा	उतर–बरत दुसाध दक्षिण–मनोगी महतो पूरब– निज पश्चिम–बकास्त मालिक

मौजा– कोरियम, थाना नं०–01, अंचल+जिला–अरवल।

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। भूदाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 837 दिनांक 31.12.2019 द्वारा अंचल अधिकारी अरवल के माध्यम नोटिस तामिला कराया गया एवं भूदान पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी अरवल द्वारा कार्यालय पत्रांक 876 दिनांक 30.07.2021 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। भूदाता के तरफ से वाद में कोई उपस्थित नहीं हुए और ना ही किसी के द्वारा आपति समर्पित किया गया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल का जॉच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूदान दान पत्र पर भूदाता का हसताक्षर अंकित है। हरि चन्द्र सिंह एवं स्वामी परमानन्द दास का नाम गवाह में दर्ज है। भूदाता द्वारा भूदान दान पत्र के माध्यम से दिनांक 06.04.1954 को दान दिया गया है। अंचल अधिकारी अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि मौजा कोरियम का खतीयान उपलब्ध नहीं है। ग्राम–कोरियम में खाता नं0 01 नहीं है।

अंचल अधिकारी अरवल द्वारा जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि मौजा कोरियम में खाता नं0 01 नही है।

अतः भूदाता द्वारा भूदान यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से दान में दी गई भूमि खाता नं0 01 मौजा–कोरियम में नहीं है जिस कारण भूदाता द्वारा भूदान दान पत्र से दिया गया भूमि का संपुष्ट करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अंचल अधिकारी, अरवल के जॉच प्रतिवेदन के आलोक में भूदान यज्ञ–दान पत्र में वर्णित भूमि को असंपुष्ट किया जाता है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।